भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3164
गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर उद्योग</u>

3164. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सौर पैनल विनिर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कोई वास्तविक नीति या योजना नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) वर्ष 2014 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में सौर पैनलों के निर्माण की वर्तमान हिस्सेदारी क्या है;

(ग) क्या भारत को वैश्विक सौर उद्योग द्वारा सबसे आशाजनक बाजारों में से एक समझा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय आयात ज्यादातर चीन से आता है जो वर्ष 2014 में 86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 90 प्रतिशत हो गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भारत को एक सौर विनिर्माण रणनीति की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आयात लागत को कम करने के लिए सौर पैनलों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) भारत सरकार द्वारा सौर सेलों और मॉड्यूलों के घरेलू विनिर्माण को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती हैः-

1. भारत सरकार द्वारा सौर सेलों और पैनलों के भारत में घरेलू विनिर्माण को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान हैः-

   i. विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय में निवेश हेतु 20-25 प्रतिशत सब्सिडी।
   ii. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के बाहर की इकाइयों के लिए पूंजीगत उपकरण हेतु प्रति संतुलनकारी शुल्क (सीवीडी)/उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

2. सरकार की वित्तीय सहायता से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सौर विद्युत परियोजनाओं तथा उन रूफटॉप सौर परियोजनाओं, जिन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, को वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सौर सेलों और पैनलों की

आवश्यकता को घरेलू स्रोतों से पूरा करने का अधिदेश दिया गया है जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुपालन में होना चाहिए।

3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने "अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सार्वजनिक खरीद का कार्यान्वयन (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश" के संबंध में दिनांक 11.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 146/57/2018-पीएंडसी के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि सिविल निर्माण के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए घरेलू तौर पर विनिर्मित/उत्पादित उत्पादों, जैसे- सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य उपकरणों जैसे इनवर्टरों आदि को वरीयता दी जाएगी। सौर मॉड्यूलों के मामले में स्थानीय मात्रा की न्यूनतम प्रतिशतता 100 प्रतिशत और अन्य उपकरणों जैसे- इनवर्टर आदि के लिए 40 प्रतिशत अपेक्षित है।
4. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 01/2018-सीमा-शुल्क (एसजी) के माध्यम से सौर सेलों के आयात पर सुरक्षोपाय शुल्क लागू किया है चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में एकत्रित हों अथवा नहीं।

(ख) वर्ष 2014 में सौर मॉड्यूलों की विनिर्माण क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी और वर्ष 2014 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2.04 लाख करोड़ रु. अमेरिकी डॉलर था जबकि सौर मॉड्यूलों की वर्तमान विनिर्माण क्षमता लगभग 10 गीगावाट है और भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018 में 2.72 लाख करोड़ रु. अमेरिकी डॉलर था।

(ग) अर्नेस्ट एंड ईयर (ईवाई) की अक्षय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक (आरईसीएआई) रिपोर्ट, 2019 के 53वें संस्करण में अक्षय ऊर्जा निवेश और संस्थापना के अवसरों के आधार पर आकर्षकता पर 40 देशों को शामिल किया गया।

आरईसीएआई रिपोर्ट, 2019 में भारत का स्थान चौथा है। आरईसीएआई का वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों जैसे- आर्थिक स्थिरता, निवेश संबंधी माहौल, ऊर्जा की सुरक्षा और आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा की वहनीयता, राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से नीतिगत समर्थता और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए सहायता, ऊर्जा बाजार सुलभता की दृष्टि से परियोजना का वितरण, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर अवसंरचना एवं वित्त तथा प्रौद्योगिकी संभाव्यता, विद्युत ऑफ-टेक आकर्षकता, राजनीतिक सहायता, प्रौद्योगिकी की परिपक्वता तथा पूर्वानुमान विकास और पाइप लाइन के विश्लेषण को शामिल करते हुए एक कार्यप्रणाली पर आधारित है। समग्र आरईसीएआई वर्गीकरण के निर्धारण हेतु प्रत्येक मानदंड पर देश की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है।

(घ) और (ङ): भारत में "सौर सेलों चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में एकत्रित हों अथवा नहीं" के आयात से संबंधित सुरक्षोपाय जाँच में व्यापार उपचार महानिदेशालय के दिनांक 16.07.2018 के अंतिम निष्कर्षों के अनुसार यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान सौर मॉड्यूलों/सेलों का कुल आयात 1275 मेगावाट था, जो उस वर्ष में कुल आयात तथा भारतीय उत्पादन का लगभग 88 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान कुल आयात 4917 मेगावाट था जो कुल आयात तथा भारत में किए गए उत्पादन को एक साथ मिलाकर लगभग 92 प्रतिशत था।

(च) और (छ): जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है।

*****